न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

(1) पत्रावली संख्याः– 05 / 2014 / अपील

1. करणीराम पुत्र त्रिलोकाराम
2. हीरा देवी पत्नी त्रिलोकाराम
3. रिछपाल पुत्र उमाराम
4. रतनसिंह पुत्र उमाराम
5. तीजू बेवा उमाराम (हजफ)

समस्त जाति जाट निवासीगण शेखीवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र प्रेम सिंह
2. गोपाल राम पुत्र रूपाराम
3. भंवर सिंह पुत्र कुशलाराम
4. ठाकर सिंह पुत्र रूपाराम
5. कानसिंह पुत्र रूपाराम
6. हरदयाल पुत्र कुशलाराम
7. विक्रम सिहं पुत्र रणधीर सिंह
8. शिवनाथ सिंह पुत्र गोरूराम
9. रामनिवास पुत्र गोरूराम
10. धर्मपाल दत्तक पुत्र गोदूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण शेखीवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

(2) पत्रावली संख्याः– 06 / 2014 / अपील

1. पप्पु कुमार पुत्र मेवाराम
2. रणजीत सिंह पुत्र मेवाराम
3. बलदेवा पुत्र हीराराम

समस्त जाति जाट निवासीगण शेखीवास तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज0

अपीलान्ट्स

बनाम

1. नेमीचन्द पुत्र प्रेम सिंह
2. गोपाल राम पुत्र रूपाराम
3. भंवर सिंह पुत्र कुशलाराम
4. ठाकर सिंह पुत्र रूपाराम
5. कानसिंह पुत्र रूपाराम
6. हरदयाल पुत्र कुशलाराम
7. विक्रम सिहं पुत्र रणधीर सिंह
8. शिवनाथ सिंह पुत्र गोरूराम
9. रामनिवास पुत्र गोरूराम
10. धर्मपाल दत्तक पुत्र गोदूराम

समस्त जाति जाट निवासीगण शेखीवास तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.01.2014 अनुवानी नेमीचन्द वगै0 बनाम करणीराम वगै0 अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वकील अपीलांट श्री ओमप्रकाश मील
वकील रेस्पोडेंट श्री फूलचन्द थालौड़

निर्णय **दिनांकः—25.10.2019**

उपरोक्त दोनों प्रकरण एक सम्मान होने से एक ही निर्णय से निर्णित किये जा रहे है। संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि अपीलांट संख्या 1 व 2 का खेत खसरा नम्बर 13 व 16 ग्राम खालियानाउ में से अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा रास्ता कायम कर दिया एवं ग्राम खालियानाउ भू.अ.निरीक्षक जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ के खसरा नम्बर 11 बाबत न्यायालय हाजा ने पूर्व में दिनांक 30.04.2012 का आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ का निरस्त किया जाकर पत्रावली तहसीलदार लक्ष्मणगढ को इस निर्देश के साथ रिमान्ड की थी कि खसरा नम्बर 11 के समस्त सहखातेदारान को पार्टी बनाया जाकर नोटिस जारी किया जावे तथा मौके की जांच की जावे व साक्ष्य सबुत का समुचित अवसर दिया जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। मगर योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने खसरा नम्बर 11 तन खालीयानाउ के खातेदारों को कोई पार्टी नहीं बनाया। यही कारण है कि पत्रावली में पार्टी बनाया जाना फैसले में भी नहीं लिखा है। न ही नोटिस जारी करना पत्रावली में है क्यों कि उन्हे कोई नोटिस दिया नही गया, साक्ष्य सबुत का भी कोई अवसर नहीं दिया गया। खसरा नम्बर 11 वाकै खालियानाउ पटवार हल्का राजास और भू.अभि. निरीक्षक क्षैत्र जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर की कुल भूमि 6.81 हैक्टर जिसमें करणीराम व हीरा देवी मां, बेटे का सिर्फ 1/3 हिस्सा है। शेष हिस्सा रिछपाल रतन तीजू बेवा उमाराम का 1/3 हिस्सा है व गौरूराम व त्रिलोकाराम जो दोनों फौत हो गये उनका 1/3 हिस्सा है मगर वो फौत हो गये इसलिए उनके वारिसान नथमल व मन्नी देवी का 1/3 हिस्सा है इनमें से किसी को भी नोटिस नही दिया गया है न ही इनमें से किसी की साक्ष्य ली गयी है और न ही साक्ष्य सबुत का मौका दिया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने फैसले में स्वयं ने खसरा नम्बर 282 वाकै भाउजी की ढाणी में जाने की पगडन्डी बताते है जब कि फैसले मे प्रस्तुत नक्शें में कही भी खसरा नम्बर 282 में नहीं दिखाया गया हैं। खसरा नम्बर 11 वाके खालियानाउ तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर के चारों तरफ कंटीले तारों की बाड़ है। जिसके गेट लगा हुआ है जो कदीम व सदैव से ही जो गेट लगा है अपीलान्टस का अपने खेत में प्रवेश का है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह इस तरह का है "अतः ग्राम खालियानाउ के खसरा नम्बर 11 में पूर्व प्रचलित पगडन्डी को खुलवाये जाने की आज्ञा दी जाती है भू.अ.नि. को एवं पटवारी हल्का का मुताबिक नक्शा मौका बन्द पगडन्डी क, ख, ग खुलवाये जाने के आदेश जारी है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।" यहां यह निवेदन है कि पूर्व में कोई पगडन्डी थी ही नही और आये साल उसमें काश्त होती है तो पूर्व पगडन्डी कहा है कि पत्रावली मे साक्ष्य नहीं ऐसी सूरत में निर्णय पूर्णतया निरस्तनीय है। धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। खसरा नम्बर 10, 13, 16, 12 व 11 समस्त खातेदार एक ही परिवार के है व जमीने भी सभी पैत्रिक है। इनमें से भी किसी भी खातेदार को नोटिस नहीं दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य

Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ का निर्णय दिनांक 24.01.2014 को निरस्त करार दिया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण के सम्बंध में न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में दिनांक 07.08.2012 को निर्णय पारित कर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया कि खसरा नम्बर 11 के समस्त सहखातेदारान को पार्टी बनाया जाकर नोटिस जारी किया जावे तथा मौके की जांच की जावे एवं साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2012 की पालना में योग्य अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 24.01.2014 पारित किया गया है। योग्य अधीनस्थ तहसीलदार से प्राप्त पत्रावली पर उक्त निर्णय दिनांक 24.01.2014 पारित किये जाने से पूर्व आदेशिका/नोटशीट का कहीं कोई उल्लेख नहीं है केवल मात्र निर्णय पारित किया गया है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय में वर्णित निर्देशों की पालना में खसरा नम्बर 11 के किन–किन खातेदारान को नोटिस जारी किये गये इस सम्बंध में कोई नोटशीट व आदेशिका पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकमात्र निर्णय पारित कर उक्त निर्णय में लिखा है कि "पक्षकारान को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर दिया गया। खसरा नम्बर 11 के खातेदारान में से किसी का जवाब व सबूत अवसर दिये जाने के बाद भी प्राप्त नहीं हुये जबकि तामिल विधिवत हो चुकी थी। प्रार्थी ने जवाब में रास्ता खुलवाने की मांग की। प्रशासन गावों के संग अभियान में प्रकरण में उपस्थित पक्षकारों एवं ग्राम सभा में जानकारी ली गई। विवादित रास्ते का मेरे द्वारा, पटवारी हल्का व दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका निरीक्षण किया गया। मौके पर पगडंडी के निशानात पाये गये, जिसे बन्द कर दिया गया। मौका निरीक्षण से यह स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 11 में से पगडंडी प्रचलित थी जिसको खातेदार ने बन्द कर दिया। पूर्व प्रचलित पगडंडी को खुलवाये जाने बाबत आदेश जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय पूर्व प्रचलित पगडंडी बताकर खुलवाने बाबत आदेश दिया गया है। प्रकरण के सम्बंध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 30.04.2012 में खसरा नम्बर 11 में से पहले से रास्ता मौजूद होने पर उक्त रास्ता बन्द करना अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का राजास व भू.अ.निरीक्षक बाटड़ानाउ की फर्द मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 17.08.2011 का अवलोकन किया गया। उक्त फर्द मौका जांच रिपोर्ट में ग्राम खालियानाउ के खसरा नम्बर 73, 74, 75 तक पगडंडी जाना बताया जो मौके पर नहीं है पगडंडी खसरा नम्बर 11 में प्रवेश करती है। खसरा नम्बर 11 में प्रवेश करने के बाद कोई पगडंडी नहीं होना अंकित किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 15.02.2012 में तहसीलदार स्वयं द्वारा दोनों पक्षों की मौजूदगी में मौका देखना बताया, जिस पर मात्र 2 व्यक्तियों के ही हस्ताक्षर है, जिसमें समस्त खातेदारों/उपस्थितों का उल्लेख नहीं है। और मौके पर क्या स्थिति पायी गयी, यह वर्णित नहीं है। रास्ते के प्रचलन के सम्बंध में केवल मात्र पूछताछ करना ही उल्लेखित किया हुआ है। न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.08.2012 के उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को जारी नोटिस की प्रतिंया पत्रावली पर उपलब्ध है, जिनमें सुनवाई तिथि में कांट–छांट की गई है। उसके उपरांत दोनों पक्षों की सुनवाई/मौका निरीक्षण के सम्बंध में कोई गंभीरता नजर नहीं आई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र सरसरी तौर पर पगडंडी खोलने का आदेश जारी कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के अनुसार बन्द/अवरूद्व रास्ते को खुलवाया जा सकता है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कदीमी रास्ता/प्रचलित रास्ते की मौजुदगी व सुखाचार की

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवहेलना के सम्बंध में कोई व्याख्या/निर्णय नहीं दिया और अनावश्यक जल्दबाजी में निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित चुनौतिग्रस्त निर्णय दिनांक 24.01.2014 निरस्त किया जाता है। निर्णय की एक प्रति पत्रावली संख्या 06/2014 में भी रखी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official